न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर।

अपील सख्याः–17/19 (आरसीएमएस नं. 2019/00282)

01. भगवान पुत्र प्रभात उम्र 48 वर्ष, जाति मीना (मृतक दौरोने अपील)
    1/1. रामफूल पुत्र भगवान,
    1/2. रामस्वरूप पुत्र भगवान,
    1/3. राजू पुत्र भगवान,
    1/4. नैना देवी पत्नी स्व. भगवान,
    1/5. मूल देवी पुत्री भगवान,
2. धन्ना पुत्र प्रभात उम्र 45 वर्ष, जाति मीना,
3. रामकुंवार पुत्र प्रभात उम्र 50 वर्ष, जाति मीना निवासीयान ग्राम बिलोद, तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर, राजस्थान।

––अपीलान्ट्स

बनाम

1. कमली पत्नी स्व. बाबू,
2. पूरण पुत्र स्व. बाबू,
3. नारायण पुत्र मांगू (दौरोने अपील निधन)
    3/1. सुण्डादेवी पत्नी स्व. नारायण,
    3/2. कालूराम पुत्र नारायण,
    3/3. हनुमान पुत्र नारायण,
    3/4. रामकिशन उर्फ रामकिशोर पुत्र नारायण,
    3/5. सीताराम पुत्र नारायण समस्त जाति मीना, निवासीगण ग्राम बिलोद, तहसील जमवारामगढ,
4. लल्लू पुत्र मांगू,
5. स्याना पत्नी स्व. गोपाल,
6. फुलचन्द पुत्र नाथू,
7. जगदीश पुत्र नाथू,
8. रमेश पुत्र नाथू, समस्त जाति मीना, निवासीयान ग्राम बिलोद, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर।
9. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर।

––रेस्पोडेन्ट्स

निर्णय

दिनांकः 18.03.2020

अपीलार्थी द्वारा यह अपील न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़ जिला जयपुर के आदेश दिनांक 10.10.2011 (प्रकरण संख्या 17/2011) से असंतुष्ट होकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956, की धारा 75 के तहत प्रस्तुत की गई।

अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपील के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया है कि रेस्पोडेन्ट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र बाबत नक्शा

संभागीय आयुक्त
जयपुर

P.T.O.

दुरूस्ती मनघडन्त तथ्य अंकित करते हुए प्रस्तुत किया गया जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने विश्वास कर अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर दिये बिना ही उक्त प्रकरण में अपीलाधीन निर्णय दिनांक 10.10.2011 पारित किया जो भूमि कानूनों के प्रावधानों के विपरित होने से निरस्तनीय है। उन्होने कथन किया है कि सही एवं वास्तविक तथ्य यह है कि रेस्पोडेन्ट के पूर्वज खातेदारों के समय ही अपीलान्ट की भूमि व रेस्पोडेन्ट की भूमि का तकासमा होकर राजस्व रिकार्ड में उनके मौके पर कब्जे अनुसार अमल किया गया तथा उसी अनुसार आज तक काबिज काश्त है, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 10.10.2011 वास्तविक तथ्यों व मौके की स्थिति के विपरित जाकर विधि विरूद्ध एकपक्षीय पारित किया है, जो विधि विरूद्ध होने से निरस्तनीय है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि रेस्पोडेन्ट ने नजरी नक्शें में अपनी मर्जी से बनावटी सीमाऐं पेश की है जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने विश्वास कर तथ्यों व विधि की भारी भूल की है जबकि विवादित आराजी खसरा नम्बर 600/647 वर्तमान खसरा नम्बर 711 रकबा 10 बीघा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 8 के पूर्वजों की खातेदारी में दर्ज है जो सम्वत् 2059–2060 के नक्शे में चारो दिशा की स्थिति इस प्रकार है कि पश्चिम दिशा में अपीलान्ट्स की भूमि खसरा नम्बर 600/646 वर्तमान खसरा नम्बर 723 रकबा 5 बीघा स्थित है जिस पर अपीलान्ट्स काबिज काश्त है, दक्षिण दिशा में अन्य भूमि खसरा नम्बर 714, 715 स्थित है, उत्तर दिशा में अन्य भूमि खसरा नम्बर 710, 709 स्थित है, तथा पूर्व दिशा में सिवायचक भूमि खसरा नम्बर 712 स्थित है जबकि रेस्पोडेन्टने प्रार्थना पत्र दुरूस्ती रिकार्ड में अपीलान्ट की काबिज काश्त भूमि खसरा नम्बर 600/646 वर्तमान खसरा नम्बर 723, 724 रकबा 5 बीघा दर्ज है जिसे बेईमानी से रेस्पोडेन्ट ने अपनी होना बताया है जो गलत है जबकि अपीलान्ट की भूमि के चारों सीमाऐं इस प्रकार है कि पश्चिम दिश में–आम रास्ता, पूर्व दिशा में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 8 की भूमि खसरा नम्बर 711 स्थित है, उत्तर दिशा में अन्य भूमि खसरा नम्बर 708 स्थित है, दक्षिण दिशा में अन्य भूमि खसरा नम्बर 714, 715 स्थित है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अपीलान्ट की आराजी खसरा नम्बर 600/646 वर्तमान खसरा नम्बर 723 रकबा 7 बीघा के उत्तरी हिस्से में अपीलान्ट के मकानात बने हुऐ है तथा शेष भूति पर अपीलान्ट अपने पूर्वजों के समय से ही काबिज काश्त चले आ रहे है जिस पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 8 का कोई अधिकार व सरोकार नही है, फिर भी तथ्यों व मौका स्थिति को नजर अन्दाज कर आनन–फानन में अधीनस्थ न्यायालय ने नक्शे में परिवर्तन कर अपीलान्ट की आराजी रेस्पोडेन्ट के हिस्से में दर्ज करने के विधि विरूद्ध अपीलाधीन आदेश पारित किया है जबकि राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 136 के प्रावधानुसार पुराने नक्शो में परिर्वतन करने व भूमि के घटाने–बढाने का कोई क्षेत्राधिकार अधीनस्थ न्यायालय को कानूनन प्रदत्त नही है। उन्होने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने

P.T.O.

संभागीय आयुक्त
जयपुर

अपने क्षेत्राधिकार से परे जाकर उक्त अपीलाधीन निर्णय दिनांक 10.10.2011 अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर दिये बिना एकपक्षीय पारित किया है। उन्होने आगे कथन किया है कि अपीलान्ट की खातेदारी काबिज काश्त की भूमि नक्शें में परिवर्तन के लिऐ प्रार्थना पत्र पेश करते समय अपीलान्ट को आवश्यक रूप से पक्षकार बनाना चाहिये था जबकि उन्हे सुनवाई का अवसर व सूचना दिये बिना ही अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया गया जिसका मालूमात अपीलान्ट को नही हुआ दिनांक 09.03.2012 को रेस्पोडेन्ट ने अपीलान्ट को धमकी दी कि हमने अपीलान्ट की भूमि के नक्शे में परिवर्तन कराने का निर्णय करवा लिया है और निर्णय की फोटो प्रति भी बताकर कहा कि इसलिये अपीलान्ट की भूमि की मेड़ तोड़कर अब रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 8 अपनी भूमि खसरा नम्बर 711 को अपीलान्ट की भूमि खसरा नम्बर 723 की सीमा में पश्चिम दिशा में आम रास्ता तक मिला लेंगे, रेस्पोडेन्ट की ऐसी ऐलानिया धमकी से चिन्तित होकर अपीलान्ट ने उसी दिन अधीनस्थ न्यायालय में निर्णय की नकल हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जो दिनांक 12. 03.2012 को प्राप्त होने से जानकारी हुई तथा जानकारी की दिनांक से अपील अन्दर मियाद न्यायालय श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत की गई है एवं प्रार्थना पत्र धारा 96 सी.पी.सी. एवं प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम अलग से प्रस्तुत किये है जो स्वीकार योग्य होने से स्वीकार फरमाये जावें एवं अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 10.10.2011 को निरस्त फरमाया जावें।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1, 2, 3/1 से 3/4, 4 से 8 ने अपील के तथ्यों को अस्वीकार करते हुऐ कथन किया है कि विवादित भूमि खसरा नम्बर 600/647 रकबा 10 बीघा ग्राम बिलोद तहसील जमवारामगढ में स्थित है जो रेस्पोडेन्ट की सहखातेदारी की भूमि है तथा आराजी के रिकार्डेड खातेदार बाबू पुत्र पांचू एवं भौरया पुत्र नाथू का देहान्त हो चुका है जिसके वारिस रेस्पोडेन्ट है।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने कथन किया है कि सम्वत् 2066 में हुऐ सैटलमेन्ट के तहत रेस्पोडेन्ट की भूमि के नवीन खसरा नम्बर 711 बनाये गये है परन्तु जो नवीन नक्शा कायम किया गया है वह विधि विधान एवं मौका स्थिति के विपरित तथा बिना रेस्पोडेन्ट की सूचना के ही बनाया गया है जो गलत तरमीम कर कायम किया गया है तथा रेस्पोडेन्ट की विवादित भूमि पश्चिम में आम रस्ता से लगवा है और उसमें रेस्पोडेन्ट के मकानात बने हुए है तथा भूमि के पूर्व दिशा में भूमि सिवायचक है परन्तु नवीन नक्शे में रेस्पोडेन्ट की भूमि का पश्चिमी हिस्सा खसरा नम्बर 600/646 जिसके नवीन खसरा नम्बर 723 बनाये गये है में दर्शित कर रेस्पोडेन्ट की भूमि में स्थित उसके मकानात की भूमि भी खसरा नम्बर 600/646 में दर्शित कर दी है और रेस्पोडेन्ट की भूमि को सिवायचक की ओर सरकारी भूमि में दर्शित कर दी है जो स्पष्ट तौर पर अवैंधानिक एवं मौका स्थिति के विपरित होने से कानूनन दुरूस्तनीय ही था जिस दुरूस्त कराने हेतु रेस्पोडेन्ट द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है जिस पर अधीनस्थ

सम्भागीय आयुक्त
जयपुर

न्यायालय द्वारा प्रकरण की विधिवत रूप से सुनवाई की जाकर ही अपीलाधीन निर्णय दिनांक 10.10.2011 पारित किया गया है जिसमें किसी प्रकार की कोई कानूनी या विधिक गलती नही की गई है। अतः अपीलान्ट की अपील सारहीन, बलहीन व खारिज योग्य होने से अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जावें।

हमने पत्रावली एवं अधिवक्ता उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत नजीरों को अवलोकन किया तथा अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि अपीलान्ट आराजी खसरा नम्बर 600/646 के रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है उसके उपरान्त भी अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पक्षकार नही बनाया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलान्ट के दोनों प्रार्थना पत्र धारा 96 सी.पी.सी. एवं प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम एवं शपथ पत्रों में अंकित तथ्यों पर विश्वास करते हुए स्वीकार योग्य होने से अपीलान्ट के दोनों प्रार्थना पत्र धारा 96 सी.पी.सी. एवं प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किये जाते है। पत्रावली के अवलोकन से यह भी जाहिर होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को बिना सुनवाई का अवसर दिये ही अपीलान्ट की आराजी खसरा नम्बर 600/646 बाबत अपीलाधीन निर्णय दिनांक 10.10.2011 पारित किया गया है जो विधिक एवं न्यायिक प्रावधानों के विपरित होने से उसे उचित नही ठहराया जा सकता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जमवारामगढ जिला जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 10.10.2011 को निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जमवारामगढ जिला जयपुर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में उभयपक्ष को साक्ष्य, सबूत, दस्तावेजात इत्यादि प्रस्तुत करने का एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया जाकर प्रकरण में पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें।

(के0सी0वर्मा)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 18.03.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
जयपुर।